# इकाई 19 खाद्य सुरक्षा

**संरचना**


19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 संकल्पनात्मक रूपरेखा

- 19.2.1 खाद्य आत्मनिर्भरता
- 19.2.2 निवल उत्पादन
- 19.2.3 खाद्य सुरक्षा बनाम खाद्य असुरक्षा
- 19.2.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- 19.2.5 त्रुटियों पर लक्ष्य साधन : ई और एफ प्रकार की त्रुटियां
- 19.2.6 खाद्यान्नों का प्रापण (वसूली)
- 19.2.7 बफर स्टॉक (सुरक्षित भंडार)
- 19.2.8 न्यूनतम समर्थन मूल्य

19.3 भारत में खाद्यान्न परिदृश्य

- 19.3.1 क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता
- 19.3.2 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता
- 19.3.3 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

19.4 वैकल्पिक नीति संदर्भों में खाद्य सुरक्षा

- 19.4.1 मुक्त बाजार प्रचालन
- 19.4.2 सरकारी प्रापण का प्रभाव
- 19.4.3 सरकारी प्रापण और वितरण का प्रभाव

19.5 खाद्य सुरक्षा के लिए नीतियां और कार्यक्रम

- 19.5.1 PDS के अधीन प्रयास
- 19.5.2 खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएँ
- 19.5.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
- 19.5.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) विधेयक

19.6 सरकारी नीति का प्रभाव

19.7 भावी रणनीति

19.8 सारांश

19.9 शब्दावली

19.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

19.11 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

## 19.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- ''खाद्य सुरक्षा'' की समस्या से संबद्ध विभिन्न संकल्पनाओं की परिभाषा दे सकेंगे;
- भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर खाद्यान्न परिदृश्य में प्रवृत्ति की चर्चा कर सकेंगे;
- वैकल्पिक नीतिगत विकल्पों के अधीन प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग में ह्रासमान प्रवृत्ति की सैद्धांतिक व्याख्या दे सकेंगे;
- खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु अपनाई गई सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- PDS पर सरकारी नीति के सामान्य पणधारियों पर प्रभावों की समीक्षा कर सकेंगे; और
- अपनाई की गई ''खाद्य सुरक्षा'' नीति में त्रुटियों की पहचान कर उनके आलोक में उसके प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए ''भावी रणनीति'' की रूपरेखा निर्दिष्ट कर सकेंगे।

## 19.1 प्रस्तावना

''खाद्य सुरक्षा'' की समस्या में दो पहलू सम्मिलित हैं : पहला, खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता, दूसरा, सभी को उसकी सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उसका प्रभावशाली वितरण। उपलब्धता को ''हकदारी'' के रूप में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, अर्थात् ऐसी दशाओं का निर्माण जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को यह आसानी से सुलभ हो सके। इसका अभिप्राय है कि यदि गरीब की क्रयशक्ति खाद्यान्न खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उन्हें या तो कम (सब्सिडी) कीमत पर अनाज सुलभ होना चाहिए या उनकी क्रयशक्ति उपयुक्त ढंग से बढ़ाई जानी चाहिए। पहला पक्ष वितरण नीति द्वारा प्राप्य है, तो दूसरा विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त हो सकता है। वितरण का कार्य (प्रत्येक परिवार की देहरी तक खाद्य ले जाना, विशेषकर गरीबी की रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले परिवारों तक) बहुत विशाल कार्य है जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारा किया जाता है। PDS का क्रियान्वयन देशभर में स्थापित सस्ती दर की दुकानों (FPS) के संचालन द्वारा किया जाता है। ऐसे विशाल वितरण के कार्य से पहले ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' (MSP) नाम की मूल्य समर्थन की नीति के अधीन किसानों से ''खाद्यान्नों का प्रापण'' किया जाता है। पिछले दशकों से ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन से (अर्थात् प्रापण और FPS के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण, काम के लिए अनाज कार्यक्रम चलाना आदि द्वारा सरकार लाखों गरीब लोगों को ''खाद्य सुरक्षा'' देने में सफल हुई है। इसका प्रभाव समय के चलते गरीबी के घटते हुए अनुपात में देखा गया है। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमानों की यथार्थता का आकलन भिन्न-भिन्न वर्गीकरण तरीकों द्वारा किया गया है और यह चर्चाधीन है। परंतु UN रिपोर्ट के अनुसार

केवल 1990 के दशक के सुधारोत्तर वर्षों में ही गरीबी की रेखा से नीचे के गरीबों का अनुपात 1990 में 51.3 प्रतिशत से घटकर 2010 में लगभग 26 प्रतिशत हुआ है। सफलता के इस परिमाण के बावजूद तीन गंभीर समस्याएं हैं जो हमारी खाद्य सुरक्षा नीति की दक्षता पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। ये हैं : (i) अपर्याप्त भंडारण के कारण ''बफर स्टॉक'' प्रभावित हो रहा है; (ii) PDS प्रणाली में त्रुटि से PDS लाभ से बहुत से वास्तविक गरीब वंचित हैं (और गैर-गरीब शामिल किए गए हैं) और सबसे गंभीर है; (iii) साहाय्य प्राप्त अधिशेष खाद्यान्न अन्य देशों को निर्यात किया जाता है जिसमें राजकोष को आये दिन बहुत मार पड़ती है। यह विडम्बना है कि लाखों लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित), गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं (इसके फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर अधिक होती है जिसका अनुमान UNICEF द्वारा 2009 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 66 लगाया गया था जो 1990 में 118 से घटकर हुआ है) किंतु हमारा बफर स्टॉक उन देशों को निर्यात किया जाता है जहाँ इसे पशु आहार निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, (जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, इराक, फिलिपाइन्स, आदि)। हमने 'खाद्य असुरक्षा' शब्द का प्रयोग उस दुखदायी अवस्था के लिए किया है जहां खाद्य आपूर्ति की प्रचुरता के बावजूद बाल कुपोषण की दशा गंभीर बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि के विपरीत इस इकाई में कृषि विकास की समस्या के दो मुख्य मुद्दों पर विचार करने का प्रयास किया हैः (i) ''खाद्य सुरक्षा'' की उच्चतर दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, और (ii) भावी रणनीति, जो खाद्य सुरक्षा की नीतियाँ अधिक दक्ष बनाने के लिए अपनाई जानी आवश्यक है। हम अंतर्निहित विभिन्न संकल्पनाओं के विवरण से आरंभ करेंगे।

## 19.2 संकल्पनात्मक रूपरेखा

हम पहले ही उन कई संकल्पनाओं का परिचय दे चुके हैं जिनका विस्तार से विवरण इस भाग में दिया जाएगा। हम दो शब्दों, अर्थात् खाद्य आत्मनिर्भरता और निवल उत्पादन के विभेद से आरंभ करेंगे।

### 19.2.1 खाद्य आत्मनिर्भरता

उस देश को ''खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर'' कहा जाता है जिसमें जनता की खाद्य आवश्यकता से उसके खाद्य उत्पादन का स्तर मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, देश अन्य देशों से खाद्यान्न के आयात पर निर्भर रहे बिना अपने स्वयं के घरेलू उत्पादन से अपने लोगों को खिलाने की स्थिति में होता है। दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था को खाद्य उत्पादन में अपूर्ण कहा जाता है जब उसका घरेलू उत्पादन उसकी आवश्यकता से कम होता है। यदि कमी अधिक हो तो अन्य देशों से सहायता के अभाव में, अर्थव्यवस्था में भुखमरी फैल सकती है। तथापि यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ''खाद्य सुरक्षित'' होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि देश अपने स्वयं का कृषि उत्पादन विकसित करें। (देखिए नीचे 19.2.3)।

### 19.2.2 निवल उत्पादन

देश में उत्पादित कुल खाद्यान्न मानव उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है। उसका एक भाग उसकी अनुवर्ती जोताई के लिए बीजों के रूप में प्रयुक्त होगा जबकि

एक अन्य भाग खराब भंडारण के कारण नष्ट हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन का एक भाग पशु आहार के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। शेष भाग जो मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है, उसे ''निवल उत्पादन'' कहा जाता है। कुल उत्पादन में निवल उत्पादन का अनुपात विभिन्न कारकों, जैसे खेती की विधि, खाद्यान्नों का भंडारण और विपणन पर निर्भर करता है। यह अनुपात एक देश से दूसरे में भिन्न-भिन्न हो सकता है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 87.5 प्रतिशत निवल उत्पादन के रूप में लिया जाता है।

### 19.2.3 खाद्य सुरक्षा बनाम खाद्य असुरक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा सभी व्यक्तियों को ''अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता'' में खाद्य की ''उपलब्धता' के रूप में की गई है। उपलब्धता ऐसे तरीके से होनी चाहिए, जो ''स्वस्थ और सक्रिय जीवन'' यापन के लिए पर्याप्त हो। खाद्य सुरक्षा की अगली शर्त के लिए यह भी आवश्यक है कि उपलब्धता स्थायी या अविछिन्न आधार पर जारी रहनी चाहिए। इस प्रकार सिद्धांत रूप से, खाद्य सुरक्षा परिवार, समुदाय, राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए कारकों के संयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है। परंतु प्रचालन की दृष्टि से यह व्यक्तिगत स्तर पर लागू की जाती है। इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर ''खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता'' न तो आवश्यक है और न ही व्यक्तिगत स्तर पर ''खाद्य सुरक्षा'' की पर्याप्त गारंटी है। यह तब स्पष्ट होता है जब हम सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों का उदाहरण लेते हैं जो खाद्य आत्मनिर्भर नहीं हैं परंतु उनके लोग खाद्य सुरक्षित हैं जब कि देश के रूप में भारत खाद्य सुरक्षित है परंतु इसके सभी लोग नहीं हैं। इस प्रकार, यद्यपि खाद्य के सभी चार तत्व, अर्थात् उपलब्धता, सुलभता, उपयोग और सुलभता की स्थिरता खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण है, व्यावहारिक रूप में यह उस सीमा पर निर्भर करता है जिस तक व्यक्ति खाद्य के लिए अपनी ''हकदारी'' प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, ''स्वस्थ और सक्रिय जीवन'' यापन करने के लिए खाद्य की उपयोगिता' की स्थिति में खाद्येत्तर मदों (जैसे पर्याप्त आहार, स्वच्छ जल, सफाई और स्वास्थ्य देखभाल) का भी महत्त्व उत्पन्न रहता है। इसलिए, यदि व्यक्ति खाद्य का प्रयोग करने में असमर्थ है क्योंकि वह बीमार है, सहायता का कोई साधन नहीं है तो ''खाद्य उपयोग'' स्थिति असंतोषजनक रहती है। खाद्य उपलब्धता के बारे में भी इसी प्रकार का मामला है। प्रश्न केवल खाद्य की उपलब्धता के बारे में नहीं है बल्कि क्या कोई ऐसी क्रियाविधि है जिससे यह प्रभावी ढंग से उन सभी गरीब व्यक्तियों को वितरित हो पाती हो इसी प्रकार ''सुलभता का स्थायित्व'' गरीबों की ''संवेदनशीलता'' की संभावना को रेखांकित करता है जो अपने आपको उस दिन भोजन के बिना पाते हैं जिस दिन वे रोजगार पाने में असफल रहते हैं। यह इस दृष्टि से है कि ''खाद्य हकदारी'' का तत्व (अर्थात् जिन संसाधनों से व्यक्ति हकदारी के रूप में खाद्य की मांग कर सकता है) महत्त्वपूर्ण हो जाता है। ''खाद्य असुरक्षा की स्थिति, 2000'' नामक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि: ''यद्यपि विश्व में जनसंख्या का लगभग आधा भाग भूख के प्रति संवेदनशील है, उनमें से 1/7 अल्पपोषित है।'' इस प्रकार ''खाद्य असुरक्षा'' जो खाद्य सुरक्षा का विलोम है, अर्थव्यवस्था अल्पपोषण का प्रसार दर्शाती है। नीति क्रियान्वयन की

दृष्टि से, खाद्य असुरक्षा व्यक्तिगत स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कही अधिक बड़ी चुनौती खड़ी करती है।

### 19.2.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

परिवारों की आय में असमानताओं से भरी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बहुत ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो वर्तमान बाजार कीमत पर पर्याप्त खाद्य खरीदने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए ऐसे परिवार खाद्य असुरक्षाग्रस्त रहते हैं। ऐसी क्रियाविधि, जिससे ऐसे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर खाद्य उपलब्ध कराया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) है। PDS दो प्रकार के हैं, अर्थात् सर्वव्यापी PDS(UPDS) और लक्ष्यित PDS(TPDS)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी परिवारों को खाद्यान्न की एकसमान मात्रा दी जाती है। UPDS की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें सभी परिवारों को खाद्यान्न की एकसमान मात्रा दी जाती है। दूसरी ओर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवारों को दो श्रेणियों अर्थात् गरीब और गैर-गरीब में बांटा गया है। गैर-गरीब परिवारों को गरीब परिवारों की अपेक्षा राशन की अधिक मात्रा दी जाती है। इसलिए TPDS मूल रूप से गरीबों को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

### 19.2.5 त्रुटियों पर लक्ष्य साधन : ई और एफ प्रकार की त्रुटियां

खाद्य असुरक्षाग्रस्त परिवारों को राशन कार्ड दिया जाता है जिससे वे सस्ती दर पर (अर्थात् उस दर पर जो बाजार मूल्य से कम है) सस्ती मूल्य की दुकानों से खाद्य खरीद सकते हैं। राशन कार्डों के वितरण की प्रक्रिया में दो प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं : अधिकारी परिवार (गरीब) राशन कार्ड के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटियां **टाइप ई त्रुटि** कहलाती है। दूसरी ओर, गैर-गरीब परिवार PDS से सस्ते खाद्यान्नों के लाभ में शामिल हो सकता है। ऐसी त्रुटि को **टाइप एफ त्रुटि** कहा जाता है। PDS की कार्य दक्षता दोनों प्रकार की त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि प्रणाली ''चोरी'' या ''भ्रष्टाचार'' (FPs से खुले बाजार में खाद्यान्नों का रिसाव) ग्रस्त हो तो PDS की दक्षता गंभीर रूप से बिगड़ जाती है। गरीब परिवारों को BPL परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है (अर्थात् गरीबी की रेखा से नीचे परिवार) जबकि गैर-गरीब परिवारों को APL परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है (अर्थात् गरीबी की रेखा से ऊपर परिवार)। संक्षेप में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाकर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है ताकि इससे न्यूनतम पोषणिक प्रस्थिति बनाई रखी जा सके। FPS के माध्यम से वितरित आवश्यक वस्तुओं में मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, मिट्टी तेल और चीनी चार मदें शामिल होती हैं। परंतु बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से BPL परिवारों की रक्षा करने के लिए सरकार कभी-कभी ''राशन दुकानों'' ( FPS के लिए प्रयुक्त वैकल्पिक नाम) के माध्यम से दालें और खाद्य तेल भी सस्ती दरों पर वितरित करती है। PDS सही अर्थों में तभी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है जब अन्न और गैर-अन्न दोनों मदें (जैसे दालें) PDS के माध्यम से वितरित हों। व्यवहार में केवल अन्न खाद्य वस्तुएं PDS के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

### 19.2.6 खाद्यान्नों का प्रापण (वसूली)

अच्छे कृषि वर्ष के दौरान कीमतें तेज़ी से घट सकती हैं। इससे किसानों को कम कीमत के कारण हानि उठानी पड़ सकती है। दूसरी ओर, खराब कृषि वर्ष के दौरान उपभोक्ता कीमतें बढ़ने के कारण पीड़ित होते हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि का लाभ बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा उठाने की संभावना होती है क्योंकि किसान अधिकांशतः निरक्षर और असंगठित होते हैं। इस प्रकार गरीब किसानों को अधिक लाभ नहीं हो सकता। उनके पास बेचने के लिए अधिशेष कम होता है। गरीब किसान भी खाद्यान्न कीमतों में दो फसलों की ऋतुओं के बीच की अवधि में बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि फसल कटाई के तुरंत बाद, जब कीमतें कम होती हैं, गरीब किसान की आर्थिक दशा उसे अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य कर सकती है। ऋतु के बाद की अवधि के दौरान उसे काफी ऊँची दर पर खाद्यान्न खरीदना पड़ सकता है। कीमतों में इस प्रकार के चक्रीय उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने ''प्रापण'' की नीति अपनाई है। इसमें फसल कटाई के समय सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) नाम की कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है। ऐसे प्रापण प्रचालन सरकार को बफर स्टॉक बनाने में सहायक होते हैं जिसे PDS को अनाज आदि देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

### 19.2.7 बफर स्टॉक (सुरक्षित भंडार)

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बफर स्टॉक महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। यह भली-भांति ज्ञात है कि खाद्य की खपत पूरे वर्ष भर होती है जबकि खाद्यान्न का उत्पाद वर्ष की निश्चित अवधि में ही होता है। उत्पादन और खपत में ऋतुओं के बीच की अवधि का अंतर पाटने के लिए ''बफर स्टॉक'' नाम का खाद्यान्न स्टॉक बनाए रखना आवश्यक है। कीमतें स्थिर रखने के लिए मंदी की अवधि में ऐसे बफर स्टॉक से खाद्यान्न लिया जाता है। खाद्यान्न का स्टॉक कृषि उत्पादन में चक्रीय विविधता के कारण कीमतों के उतार-चढ़ाव रोकने के लिए भी आवश्यक है। इन कारणों के अलावा, जैसाकि ऊपर कहा गया है, खाद्यान्नों का स्टॉक PDS चलाने के लिए भी आवश्यक है। सारांश में, सरकार को निम्नलिखित के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना आवश्यक है : (i) मंदी के समय मूल्यों के उतार-चढ़ाव के हानिकारक प्रभाव रोकने और (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने। इन कारकों के अलावा, बफर स्टॉक का अनुरक्षण उन निजी व्यापारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक युक्ति के रूप में भी कार्य करता है जो कृत्रिम कमी बनाने के लिए जमाखोरी करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ सकती हैं।

### 19.2.8 न्यूनतम समर्थन मूल्य

किसानों को कीमत जोखिम से दूर रखने के लिए सरकार प्रत्येक कृषि ऋतु के प्रारंभ में फसल के लिए अपनी खरीद कीमत की घोषणा करती है। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP कहा जाता है। फसल कटाई के समय पर यदि बाजार मूल्य MSP से कम है, तब सरकार पूर्व निर्धारित MSP पर किसानों द्वारा मार्केट में लाई गई समस्त फसल खरीदने के लिए तैयार रहती है। यह बहस का विषय है क्या सरकार द्वारा घोषित MSP किसान को पर्याप्त प्रतिलाभ

सुनिश्चित करता है। MSP नीति का क्रियान्वयन फसल दर फसल भिन्न-भिन्न होता है।

**बोध प्रश्न 1**

नीचे दिए स्थान में अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

1) ''खाद्य सुरक्षा'' की समस्या में सम्मिलित किए जाने वाले दो पहलुओं का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) कौन-सा सूचक अपनाई गई खाद्य सुरक्षा की नीतियों का प्रभाव प्रतिबिंबित करता है? किस सीमा तक यह सूचक 1990 से 2010 की अवधि के दौरान घटा है।

.....

.....

.....

.....

3) वे तीन गंभीर समस्याएं बताइए जो भारत में अपनाई गई ''खाद्य सुरक्षा'' की दक्षता पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं।

.....

.....

.....

.....

4) ''खाद्य सुरक्षा'' शब्द क्या व्यक्त करता है?

.....

.....

.....

.....

5) यह कब कहा जाता है, कि किसी देश ने खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? क्या ऐसी प्राप्ति ''खाद्य सुरक्षा' की प्रस्थिति का दावा करने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है?

.....

.....

.....

.....

6) किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख कीजिए जो ''निवल उत्पादन'' बढ़ाने में योगदान करते हैं। भारत के लिए 'निवल उत्पादन' का अनुमानित अनुपात क्या है?

.....

.....

.....

.....

7) सिद्धांततः ''खाद्य सुरक्षा'' सुनिश्चित करने के लिए कौन-से चार कारक महत्त्वपूर्ण हैं?

.....

.....

.....

.....

8) सर्वव्यापी PDS से लक्षित PDS किस प्रकार भिन्न है। दोनों में से कौन PDS बेहतर 'खाद्य सुरक्षा'' संरक्षण प्रदान करता है और क्यों?

.....

.....

.....

.....

9) कौन-सी लक्ष्य साधन त्रुटि गरीब परिवारों को PDS से वंचित करती है? किस प्रकार PDS से गरीबों को ''खाद्य सुरक्षा'' प्रदान करने की आशा की जाती है?

.....

.....

.....

.....

10) सरकार द्वारा बफर स्टॉक बनाए रखने के तीन कारण बताइए।

.....

.....

.....

.....

## 19.3 भारत में खाद्यान्न परिदृश्य

खाद्य सुरक्षा की संकल्पना बनाम उसकी प्राप्ति का स्तर समझने के लिए कुछ अनुभवजन्य तथ्यों पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। इस भाग में, हम 1951-2010 के दौरान इन प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे : (i) कृषि के अधीन कुल क्षेत्रफल, उसका उत्पादन और उत्पादकता; और (ii) खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत। जहां क्षेत्रफल/उत्पादन/उत्पादकता/खाद्यान्नों की समग्र उपलब्धता पर प्रकाश डालती है; प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत खाद्य सुरक्षा से वितरण/नीतिगत विस्तार के लिए संबंध जोड़ने में सहायता करती है। इसके अलावा, विशाल जनसंख्या युक्त कृषि अर्थव्यवस्था के लिए, ''खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि करना इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो''। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत बहुत से अन्य कारकों पर निर्भर होगी जैसे (i) परिवार की प्रति व्यक्ति आय; (ii) खुला बाजार कीमत; (iii) प्रापण की नीति और बफर स्टॉक रिलीज करना, आदि। इस दृष्टिकोण से खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत केवल बढ़ाना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ रही है। इसलिए ऐसी स्थिति के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और अधिक नीतिगत पहलें आवश्यक हैं। यद्यपि हम भाग 19.5 में, इस दिशा में किए गए प्रयासों पर विचार करेंगे, इस समय हम खाद्यान्नों की उपलब्धता/खपत पर अनुभवजन्य तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में कृषि उत्पादन में चक्रीय विविधता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

### 19.3.1 क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

तालिका 19.1 में 1951-2010 की लंबी अवधि के दौरान खाद्यान्नों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में प्रवृत्ति दर्शायी गई है। इन तीन परिवर्तियों में प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट होता है:

1) छह दशाब्दी की अवधि में खाद्यान्नों के अधीन क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि एक दशाब्दी से दूसरी में घटती-बढ़ती रही है। उच्चतम वृद्धि 1951-61 की दशाब्दी में (19 प्रतिशत) थी, इसके बाद 1961-71 में (8 प्रतिशत) थी। 1971-81 और 1981-91 की अगली दो दशाब्दियों के दौरान क्रमशः थोड़ी-सी वृद्धि 2 और 1 प्रतिशत थी। 1991-2010 की सुधारोत्तर अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के अधीन क्षेत्रफल में (–5 प्रतिशत) गिरावट रही है। गिरावट का कारण खाद्यान्न से खाद्यान्न-इतर फसलों की ओर रूझान हो सकता है।

**तालिका 19.1 : भारत में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज में प्रवृत्तियाँ**

| वर्ष | क्षेत्रफल | उत्पादन | उपज |
|---|---|---|---|
| 1950-51 | 97.3 | 50.8 | 522 |
| 1960-61 | 115.6 | 82.0(4.9) | 710(3.1) |
| 1970-71 | 124.3 | 108.4(2.8) | 872(2.1) |
| 1980-81 | 126.7 | 129.6(1.8) | 1023(1.6) |
| 1990-91 | 127.8 | 176.36(3.1) | 1380(3.0) |
| 2009-10 | 121.3 | 218.2(1.1) | 1798(1.4) |
| 1951-2010 के दौरान प्रतिशत वृद्धि | 24.7 | 330(2.5) | 244(2.1) |

**नोटः**

i) क्षेत्रफल–मिलियन हेक्टेयर में, उत्पादन- मिलियन टन में और उपज- प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में;

ii) दशक से दशक (अर्थात् 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91 और 1991-2010) क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। क्रमशः 19, 8, 2, 1 और –5;

iii) उत्पादन के लिए तदनुरूपी प्रतिशत परिवर्तन है : 61, 32, 20, 36, 24 और उत्पादकता के लिए : 36, 23, 17, 35, 30; और

iv) कॉलम 3 और 4 में कोष्ठकों के अंदर के आंकड़े इन्हीं दशकों की संयुक्त औसत (वार्षिक) वृद्धि दरें (CAGR) हैं : 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91 और 1991-2010।

**स्रोत** : आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार।

2) खाद्यान्न उत्पादन में प्रवृत्ति 1951 में 51 मिलियन टन से 2010 में 218 मिलियन टन अर्थात् चार गुणा वृद्धि दिखाती है। उच्चतम वृद्धि (61 प्रतिशत) 1951-61 के दशक में थी जिसमें प्रति वर्ष 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद 1981-91 के दौरान 36 प्रतिशत की अगली उच्चतम वृद्धि रही है। 1991-2010 के सुधारोत्तर अवधि में उत्पादन में वृद्धि 24 प्रतिशत थी। इसलिए खाद्यान्न उत्पादन में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि प्रति वर्ष की न्यूनतम वृद्धि 1.3 प्रतिशत दर्ज की।

3) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के अनुसार 1951-61 के दौरान उच्चतम (4.9 प्रतिशत) हुई है, इसके बाद 1981-91 के दौरान 3.1 प्रतिशत हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में 1.1 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर 1991-2010 के सुधारोत्तर वर्षों के दौरान है जिस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि 1.8 प्रति वर्ष हुई है। 1951-2010 में खाद्यान्न संयुक्त अवधि वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत है जो 2.04 प्रतिशत के इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार खाद्यान्न वृद्धि उत्पादन में उच्चतर वृद्धि के बावजूद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या रही है। इसलिए यही लगता है कि खाद्यान्न उत्पादन में उच्चतर वृद्धि अत्यधिक आबादी वाली कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा के लिए एक आवश्यक शर्त ही हो सकती है।

4) प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (देखिए शब्दावली) लगभग 3.5 गुणा बढ़ी है। (1951 में 522 किग्रा. से 2010 में 1798 किग्रा.) परंतु औसत वार्षिक (संयुक्त) वृद्धि

दर के अनुसार 1951-2010 के दौरान उत्पादकता में वृद्धि 2.1 प्रतिशत है जो केवल 2.04 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक है।

संक्षेप में, इसलिए 1951-2010 की अवधि में : (i) खाद्यान्न उत्पादन के अधीन क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत की वृद्धि है, और (ii) खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि मामूली है।

### 19.3.2 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

यदि उत्पादन में वृद्धि का उपयोग या तो सरकार द्वारा या निजी एजेंसियों द्वारा स्टॉक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तब प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि नहीं होगी। खाद्यान्नों के निर्यात का प्रभाव भी वैसा ही रहेगा। इस प्रकारः

प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता = { निवल उत्पादन − निर्यात + आयात +/− सरकार और निजी एजेंसी के स्टॉक में परिवर्तन } ÷ जनसंख्या

खाद्यान्न की उपलब्धता में प्रवृत्ति (जो उपर्युक्त कुल सूचकों पर आधारित की अपेक्षा खाद्य सुरक्षा का बेहतर मान है) तालिका 19.2 में प्रस्तुत की गई है। मुख्य निष्कर्ष जो इस आंकड़ों से निकाले जा सकते हैं, निम्न प्रकार हैं :

1) कुल मिलाकर (अर्थात् अनाज और दलहन दोनों पर विचार कर) खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1955 में लगभग 395 ग्राम से बढ़कर 2009 में 444 ग्राम हुई है। छह दशकों की अवधि के दौरान वृद्धि 12.4 प्रतिशत तक हुई है।

2) दो प्रमुख अनाज, अर्थात् चावल और गेहूँ के अनुसार प्रति व्यक्ति गेहूँ की उपलब्धता में वृद्धि चावल की तुलना में काफी अधिक है (जिसकी वृद्धि केवल 19 प्रतिशत है)

3) ''अन्य अनाजों'' की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951-2009 के दौरान तेज़ी से घटी है (–42 प्रतिशत) परंतु कुल अनाजों के लिए छह दशकों की अवधि में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में इस अवधि में 40 प्रतिशत तेज़ गिरावट हुई है।

संक्षेप में, इसलिए (i) खाद्यान्नों और श्रेष्ठ अनाजों, जैसे गेहूँ और चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है (ii) परंतु दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में तेज़ गिरावट है।

**तालिका 19.2 : भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में प्रवृत्तियां**

| वर्ष | चावल | गेहूँ | अन्य अनाज | कुल अनाज | दलहन | खाद्यान्न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 158.9 | 65.7 | 109.6 | 334.2 | 60.7 | 394.9 |
| 1961 | 201.1 | 79.1 | 119.5 | 399.7 | 69.0 | 468.7 |
| 1971 | 192.6 | 103.6 | 121.4 | 417.6 | 51.2 | 468.8 |
| 1981 | 197.8 | 129.6 | 89.9 | 417.3 | 37.5 | 454.8 |
| 1991 | 221.7 | 166.8 | 80.0 | 468.5 | 41.6 | 510.1 |
| 2001 | 190.5 | 135.8 | 56.2 | 386.2 | 30.0 | 416.2 |
| 2005 | 177.3 | 154.3 | 59.4 | 390.9 | 31.5 | 422.9 |
| 2009 | 188.4 | 154.7 | 63.9 | 407.0 | 37.0 | 444.0 |
| 1951-2010 के दौरान परिवर्तन (%) | 19 | 135 | –42 | 21 | –40 | 12.4 |

**नोट** : i) उपलब्धता–ग्राम में प्रतिदिन; ii) कुल (अनाज) =चावल + गेहूँ + अन्य अनाज; iii) खाद्यान्न = कुल अनाज + दलहन।

**स्रोत** : आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार (यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षण वार्षिक प्रकाशन है, यह सभी द्वितीयक आंकड़े हैं। ''खाद्य आंकड़ों'' के लिए एक अन्य सुलभ स्रोत है : आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ''बुलेटिन ऑन फूड स्टेटिसटिक्स'')।

### 19.3.3 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

खाद्यान्न उपलब्धता के अतिरिक्त खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत अन्य कारकों, जैसे परिवार की प्रति व्यक्ति आय, खुले बाजार की कीमतें, लोगों का रुचियां और प्राथमिकताएँ आदि पर भी निर्भर करती है। खाद्यान्नों की खपत का अनुमान पंचवार्षिक अंतरालों पर NSSO द्वारा संचालित परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों में दिया जाता है। इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रति व्यक्ति खपत के अनुमानित परिणाम तालिका 19.3 में 1973-2010 की अवधि के हैं। दो संदर्भ अवधियों, अर्थात् मासिक खपत पैटर्न (किग्रा. में) और दैनिक खपत पैटर्न (ग्राम में) के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। ये प्रवृत्तियां प्रकट करती हैं कि 1973-78 के दौरान शहरी क्षेत्र के अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के खाद्यान्न की खपत में लगातार गिरावट है। इस गिरावट में योगदान करने वाले उपर्युक्त कारकों के अलावा अन्य कारकों में जो खपत प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, अपर्याप्त आपूर्ति परिदृश्य हो सकता है यह या तो खुला बाजार में बफर स्टॉक से खाद्यान्न न छोड़ने के कारण हो सकता है या व्यापारियों द्वारा जमाखोरी से उत्पन्न कृत्रिम कमी के कारण हो सकता है। हम पहले भाग 19.4 में इस प्रवृत्ति की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे।

**तालिका 19.3 : भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में प्रवृत्तियां**

| क्रम संख्या | वर्ष | शहरी | | ग्रामीण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | क | ख | क | ख |
| 1 | 1972-73 | 15.26 | 509 | 11.24 | 375 |
| 2 | 1977-78 | 15.25 | 508 | 11.62 | 387 |
| 3 | 1983 | 14.8 | 493 | 11.30 | 377 |
| 4 | 1987-88 | 14.47 | 482 | 11.19 | 373 |
| 5 | 1993-94 | 13.40 | 447 | 10.63 | 354 |
| 6 | 2004-05 | 12.12 | 404 | 9.94 | 331 |
| 7 | 2009-10 | 11.35 | 378 | 9.39 | 313 |

**नोट :**

i) क = 30 दिन की खपत किग्रा. में
ख = दैनिक खपत ग्राम में

ii) दो प्राथमिकता अवधियों, अर्थात् सप्ताह और महीने पर आधारित अनुमानों में भारी अंतर के कारण 1999-2000 के अनुमानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

**स्रोत :** परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर NSSO के विभिन्न दौर।

## 19.4 वैकल्पिक नीति संदर्भों में खाद्य सुरक्षा

एक ओर, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता और दूसरी ओर, घटती हुई प्रति व्यक्ति खपत के बीच अंतर नीति विकल्प और उसके क्रियान्वयन से संबंधित खाद्य सुरक्षा की समस्या खड़ी करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से हम तीन वैकल्पिक नीति संदर्भों की चर्चा कर सकते हैं। ये हैं :

### 19.4.1 मुक्त बाजार प्रचालन

आइए, हम काल्पनिक स्थिति पर विचार करें जहाँ केवल दो उपभोक्ता है : (i) गरीब उपभोक्ता और (ii) धनी उपभोक्ता। माना कि गरीब उपभोक्ता का मांग वक्र D1D1 है और धनी का D2D2 है (चित्र 19.1), जिसमें SS बाजार आपूर्ति वक्र निरूपित करता है। कुल मांग वक्र DD दो अलग-अलग मांग रेखाओं के समस्त जोड़ द्वारा प्राप्त किया गया है। इन दो वक्र रेखाओं का काट बिंदु (बिंदु E) सौदा की जा रही OQ मात्रा से बाजार में विद्यमान संतुलन कीमत OP निरूपित करता है। OP कीमत पर गरीब उपभोक्ता ''$Oq_1$'' मात्रा खरीदेगा और OQ के बराबर $Oq_1 + Oq_2$ होने से धनी $Oq_2$ उपभोक्ता मात्रा खरीदेगा। यह संभव है कि गरीब उपभोक्ता द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न की मात्रा स्वस्थ जीवन वहन के लिए अपेक्षित खाद्यान्न के न्यूनतम मानक के नीचे हो और धनी द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न की गुणवत्ता ऐसे मानक से ऊपर हो सकती है। बाजार में, (अर्थात् OQ) यदि उचित ढंग से वितरित की जाती तो दोनों उपभोक्ता खाद्य सुरक्षित बन सकते हैं। भिन्न-भिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के विविध उपभोक्ताओं के लिए यह स्थिति सामान्य नियम का रूप ले सकती है। इसलिए नीतिगत चुनौती उपलब्ध खाद्यान्न के सफल वितरण के लिए आवश्यक दशाएं बनाना है।

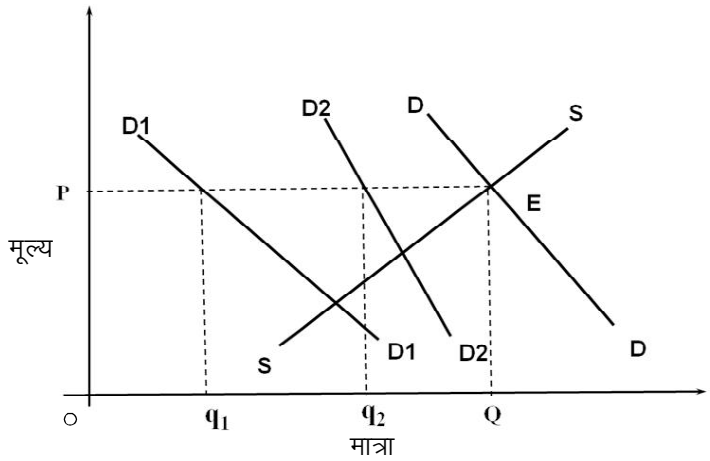


**चित्र 19.1 : निर्बाध बाजार प्रचालन**

## 19.4.2 सरकारी प्रापण का प्रभाव

माना कि सरकार उत्पादकों से खाद्यान्न प्रापण कर हस्तक्षेप करती है। इससे बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति घटेगी। परिणामस्वरूप आपूर्ति वक्ररेखा बायीं ओर S1S1 में अंतरित होगी (चित्र 19.2)। इस अंतरण के फलस्वरूप संतुलन मूल्य OP से $OP_1$ तक बढ़ेगा। यह गरीब उपभोक्ता को खपत कम करने के लिए विवश करेगा, जबकि धनी उपभोक्ताओं के लिए कोई विवशता नहीं है। कुल मिलाकर, OQ से $OQ_1$ समग्र खपत में कमी होगी। इस प्रकार यद्यपि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उच्च हो सकती है, परंतु प्रति व्यक्ति खपत कम होगी (जबकि सरकार केवल खाद्यान्न प्रापणता करती है परंतु उस खाद्यान्न राशि को खुले बाजार के लिए नहीं निकालती है या गरीबों को वितरित नहीं करती है)। इसी प्रकार, परिणाम तब भी उत्पन्न होते हैं जब सरकार खाद्यान्न निर्यात की अनुमति देती है या उसके आयात पर प्रतिबंध लगाती है।

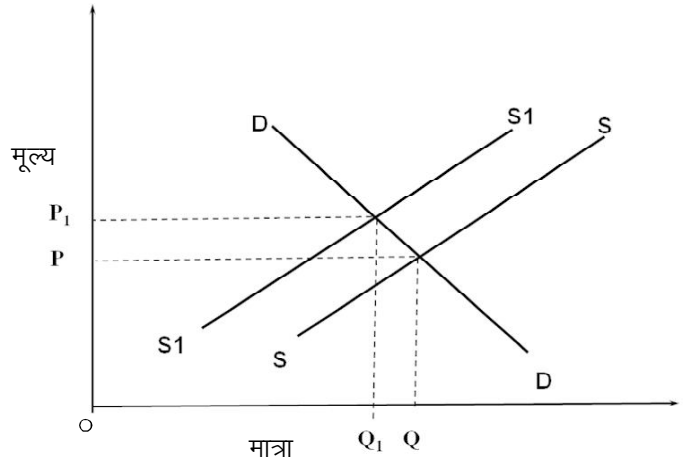


**चित्र 19.2 : सरकारी प्रापण का प्रभाव**

## 19.4.3 सरकारी प्रापण और वितरण का प्रभाव

अधिक इष्टतम स्थिति वह है जब सरकार उत्पादकों से न केवल खाद्यान्न प्रापण करती है बल्कि गरीब उपभोक्ता को इसे वितरित भी करती है। जैसा कि

19.4.2 में चर्चा की गई है, प्रापण कार्रवाई आपूर्ति वक्र को बायीं ओर SS से S1S1 में अंतरित करता है। परंतु गरीब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण के कारण खुले बाजार पर उनकी निर्भरता घट सकती है। इसलिए कुल मांग वक्र भी बायीं ओर अंतरित होता है, अर्थात् DD से D1D1 (चित्र 19.3)। आपूर्ति और मांग वक्र रेखाओं के अंतरण के कारण संतुलन कीमत $OP_2$ होगी। OP (दृष्टांत 1 में विद्यमान कीमत) की अपेक्षा कीमत $OP_1$ में उच्चतर है, परंतु $OP_1$ (दृष्टांत 2 में विद्यमान कीमत) की अपेक्षा कम होगी। बाजार में सौदा की गई मात्रा भी उपर्युक्त दो मामलों की अपेक्षा निम्नतर होगी।

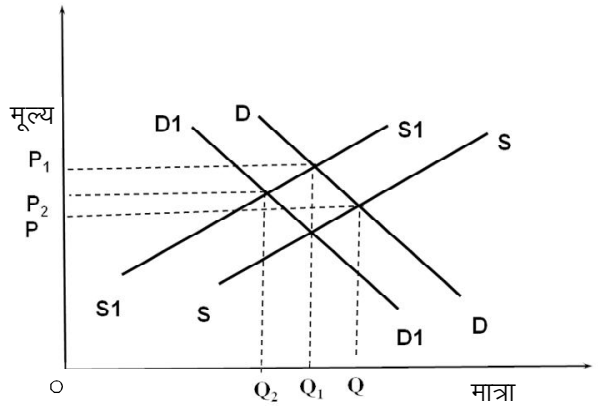


**चित्र 19.3 : सरकारी प्रापण और वितरण का प्रभाव**

जहाँ तक गरीब उपभोक्ताओं की खपत पर इस प्रकार की सरकारी कार्रवाई के प्रभाव का संबंध है, खपत बढ़ने की संभावना है क्योंकि गरीब उपभोक्ता, सरकार द्वारा आपूर्ति की गई निम्न दर पर अपनी खाद्य आवश्यकता का कुछ भाग पूरा करने में समर्थ है। परंतु उसे अपनी शेष आवश्यकता खुले बाजार से उच्चतर कीमत पर खरीदनी पड़ती है। गरीब उपभोक्ताओं की खपत पर निवल प्रभाव अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे : (i) वितरित प्रति व्यक्ति मात्रा; (ii) रियायती कीमत; (iii) बाजार आपूर्ति पर प्रापण का प्रभाव; (iv) बाजार मांग पर वितरण का प्रभाव, आदि।

इस प्रकार, संक्षेप में, अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत तब भी घटती है, जब प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता पर्याप्त है। यह तब हो सकता है, जब (i) सरकार घरेलू उत्पादकों से खाद्यान्न लेती है परंतु इसे केवल बफर स्टॉक बनाने के लिए प्रयोग करती है; (ii) सरकार देशी उत्पादकों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करती है परंतु आयात पर प्रतिबंध लगाती है; (iii) सरकार घरेलू उत्पादकों से खाद्यान्न लेती है परंतु इसका केवल कुछ भाग उपभोक्ताओं को वितरित करती है और उसका बड़ा भाग बफर स्टॉक बनाने के लिए रोक देती है। पहले दो मामलों में खुले बाजार कीमतें बढ़ सकती हैं जिसके लिए उपभोक्ता, विशेषकर गरीब उपभोक्ता अपनी खाद्यान्न खपत कम कर सकते हैं। तीसरे मामले में, कुल खपत अन्य कारकों, जैसे राशन की मात्रा और उसकी कीमत, खुले बाजार की कीमतों, वितरण दक्षता आदि पर निर्भर करता है।

**बोध प्रश्न 2**

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) खाद्यान्न उपलब्धता के अलावा किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत निर्भर कर सकती है?

.....

.....

.....

.....

2) किस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन के अधीन क्षेत्रफल में गिरावट आई है। यह गिरावट कितनी रही है और ऐसी प्रवृत्ति संभवतः क्या दर्शाती है?

.....

.....

.....

.....

3) 1951-2010 की अवधि में कौन-सी दो अवधियां खाद्यान्नों के उत्पादन में उच्चतम और न्यूनतम औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के लिए जानी जाती हैं?

.....

.....

.....

.....

4) भारत के लिए कौन-से सूचक यह तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में उच्चतर वृद्धि खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी आवश्यक शर्ते हैं?

.....

.....

.....

.....

5) अनुभवजन्य प्रमाण के आधार पर अंतिम विश्लेषण में आप भारत में खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि का निरूपण कैसे करेंगे?

.....

.....

.....

.....

6) अनुभवजन्य दृष्टि से खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में दो मुख्य निष्कर्ष बताइए।

.....

.....

.....

.....

7) कौन-सी एजेंसी/सर्वेक्षण भारत में खाद्यान्न की खपत प्रवृत्तियाँ ज्ञात करने के लिए उपयोगी आंकड़ा देती है। वे दो संदर्भ अवधियाँ कौन हैं जिनके लिए इस स्रोत से आंकड़े मुहैया किये जाते हैं? प्रति व्यक्ति खपत में प्रवृत्ति पर इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

8) प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में वृद्धि होने पर क्या सदैव प्रति व्यक्ति खाद्य खपत में भी सुधार होता है? यदि नहीं, तो बताइए कि इस प्रकार की स्थिति कब पैदा होती है?

.....

.....

.....

.....

## 19.5 खाद्य सुरक्षा के लिए नीतियां और कार्यक्रम

सरकार ने खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में बहुत-सी नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है। कुछ कार्यक्रमों का उद्देश्य मज़दूरी रोज़गार बढ़ाकर या लोगों की कौशल और आय क्षमता सुधारकर लोगों का आय स्तर बढ़ाना है। अन्य के लिए उद्देश्य रियायती दर पर खाद्यान्न देकर खाद्य खपत बढ़ाना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में PDS, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, काम के लिए अनाज कार्यक्रम, आदि के अधीन विशिष्ट प्रयास शामिल हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम सर्वव्यापक हैं जबकि अन्य जनसंख्या के खास वर्ग तक सीमित हैं।

### 19.5.1 PDS के अधीन प्रयास

भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यों में सबसे अधिक व्यापक और सार्वजनिक व्यय द्वारा साहाय्य के आधार पर प्रचलित कार्यक्रम PDS है। PDS के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) गरीबों को वहनीय कीमत पर आवश्यक उपभोक्ता माल प्रदान करना, (ii) खाद्यान्नों की मुक्त बाजार कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, (iii) अधिशेष प्रदेशों से खाद्यान्न प्रापण करना और कमी वाले प्रदेशों में वितरित करना, और (iv) लाभकारी कीमतों पर किसानों से सीधे खाद्यान्न प्रापण कर व्यापारियों के अनुचित व्यवहार से घरेलू खाद्यान्न उत्पादकों का संरक्षण करना। केंद्रीय और राज्य, दोनों सरकारें खाद्यान्नों के प्रापण और वितरण में भाग लेती हैं। प्रापण, भंडारण, परिवहन और आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी तेल) को राज्यों को भारी मात्रा में आबंटित करना केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। देश भर में सभी क्षेत्रों में फैले उचित मूल्य दुकानों (FPs) के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को उसके वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केंद्र द्वारा वस्तुएं केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) नाम की कीमत पर राज्य सरकारों को उपलब्ध की जाती हैं। सामान्यतया CIP खाद्यान्नों की आर्थिक लागत की अपेक्षा कम है जिसमें भंडारण और परिवहन लागत भी शामिल हैं। आर्थिक लागत और CIP के बीच अंतर ''उपभोक्ता साहाय्य'' कहलाता है जिसे केंद्रीय सरकार वहन करती है। PDS के प्रचालन के परिणाम में सरकार की प्रापण कीमत उस कीमत के बीच जिस पर अंत में PDS में बेचा जाता है, भारी अंतर के कारण खाद्य साहाय्य बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, 2011 में जब गेहूँ रु. 11.2 प्रति किलोग्राम की दर से लिया गया था, इसे रु. 4.15 प्रति किलो की दर से BPL परिवारों को तथा रु. 6.10 प्रति किलो की दर से APL परिवारों को बेचा गया था। 1992-2011 की अवधि में उपभोक्ता साहाय्य (1992 में 2850 करोड़ रुपये से बढ़कर 2011 में 62930 रुपये) 16.7 औसत वार्षिक प्रतिशत बढ़ी है।

### 19.5.2 खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएँ

सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए रियायती कीमतों पर खाद्यान्न वितरण से संबंधित बहुत विशेष कार्यक्रम या योजनाएं आरंभ की गईं हैं। इनमें ये प्रमुख हैं : (i) 2000 में प्रारंभ की गई अंत्योदय अन्न योजना (AAY), (ii) 2001 में प्रारंभ की गई अन्नपूर्णा योजना, और (iii) 2001 में प्रारंभ की गई संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (SGRY)। AAY का उद्देश्य गरीब परिवारों में सबसे अधिक गरीब (लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों) को रियायती खाद्यान्न (गेहूँ रु. 2 प्रति किलोग्राम और चावल रु. 3 प्रति किलोग्राम की दर से) देना है जो पूरे वर्ष भर स्थायी आधार पर दिन में दो वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते हैं। परिवारों की पहचान ग्राम पंचायतों और ग्रामसभाओं द्वारा की जाती है। अन्नपूर्णा स्कीम का लक्ष्य, 65 वर्ष से अधिक आयु के एक करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों (और जो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं) को प्रति माह प्रति व्यक्ति निःशुल्क 10 किग्रा. खाद्यान्न देना है। SGRY रोज़गार आधारित कार्यक्रम प्रारंभ करता है जिसमें (केंद्र द्वारा राज्यों को निःशुल्क आपूर्ति किया गया) खाद्यान्न किए गए कार्यों का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात् किए गए कार्य की प्रतिपूर्ति खाद्यान्न के माध्यम से वस्तु रूप में की जाती है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी स्कीम सरकारी स्कूलों में ''मध्याह्न भोजन कार्यक्रम'' है जिसमें कक्षा I-VIII के बच्चों

को पका हुआ भोजन दिया जाता है। कार्यक्रम का लक्ष्य स्कूल में बच्चों को आने के लिए प्रोत्साहन देने के अलावा गरीब बच्चों का ऊर्जा और प्रोटीन स्तर बढ़ाना है। अतिरिक्त पोषक तत्व, जैसे लौह, फॉलिक एसिड और विटामिन ई अभिसरण की बृहत्तर स्कीम अर्थात् ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' (NRHM) में पूरक के रूप में गरीब बच्चों को भी दिये जाते है''।

### 19.5.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

NFSM फसल विकास स्कीम के रूप में 2007 में प्रारंभ किया गया था। मिशन का लक्ष्य चावल, गेहूँ और दलहनों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि प्राप्त करना है। इस उपलब्धि का समय लक्ष्य ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक, अर्थात् 2012 तक था। मिशन ने अतिरिक्त खाद्यान्न के 25 मिलियन टन का उत्पादन अपना लक्ष्य एक वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। मिशन की कार्यविधि में शामिल है : नई कृषि पद्धतियों का प्रवर्तन, HYV बीजों का वितरण, उच्चतर उत्पादकता के लिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसका उपचार, आदि।

### 19.5.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) विधेयक

प्राथमिकता परिवारों को खाद्यान्नों के प्रावधान पर बल देने के अलावा NFS विधेयक लक्ष्यित PDS में निम्नलिखित द्वारा सुधार करने का प्रस्ताव करता हैः (i) खाद्यान्नों का दरवाजे पर वितरण, और (ii) ICT (अर्थात् सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का प्रयोग। पश्चोयुक्त को एकमात्र पहचान संख्या के आबंटन की स्कीम ''आधार'' से लाभभोगियों के सटीक पहचान/निर्धारण में बल मिला है। खाद्यान्नों की आपूर्ति न होने के मामले में विधेयक लाभभोगियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव करता है। विधेयक सामाजिक लेखा परीक्षा, शिकायत निवारण क्रियाविधि की स्थापना, सतर्कता समितियों का गठन आदि जैसे उपायों से पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रावधान करता है।

## 19.6 सरकारी नीति का प्रभाव

प्रापण की सरकार की नीतियों, PDS के अधीन वितरण आदि के खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हुए हैं। इन्हें निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

**अत्यधिक स्टॉक के परिणाम** : आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना प्रापण की नीति के कई हानिकार प्रभाव होते हैं। पहला, यह उपभोक्ताओं को अनाज की अधिक निर्बाध सुलभता से वंचित करता है। यदि खाद्यान्नों का प्रापण उस सीमा तक नहीं किया गया होता तो बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता। दूसरा, मामला यह नहीं है कि यह अतिरिक्त प्रापण बफर स्टॉक बढ़ाने के हित में था। खाद्यान्नों का स्टाक साधारणतया बफर स्टॉक मानकों से काफी अधिक है और इस अतिरिक्त स्टॉक को भरने से केवल उनके भंडारण की अतिरिक्त लागत होती है। तीसरा, आवश्यकता से अधिक प्रापण कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यदि बाजार में अतिरिक्त आपूर्तियां उपलब्ध होतीं तो इसकी कीमतों पर संतुलित प्रभाव होता। अंत में, यह सामान्य ज्ञान है कि भंडारण के दौरान

क्षतियां भंडारण की अवधि पर निर्भर करती हैं, भंडारण की अवधि जितनी लंबी होगी, क्षतियां भी उतनी अधिक होंगी।

**अस्वस्थकर/अधारणीय उत्पादन पद्धतियां** : चावल की उच्च प्रापण कीमतों ने किसानों को चावल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। यह अत्यधिक जल प्रधान फसल है। अभिजीत सेन समिति द्वारा दीर्घकालिक अनाज प्रबंधन समिति की रिपोर्ट में प्रेक्षण किया कि यह ''एकधा सस्यन प्रणाली'' जो पर्यावरण की दृष्टि से अधारणीय है, उन क्षेत्रों में हुई है जो दीर्घकालिक धारणीयता की दृष्टि से चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा, किसानों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति से दुर्लभ उभयनिष्ठ संपदा संसाधन जैसे भौमजल का अपव्ययी प्रयोग हुआ, जो लंबे समय तक विद्यमान नहीं चल सकता। सिंचाई के लिए भौमजल के सघन प्रयोग के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में भौमजल स्तर क्षीण हो गये। अब किसानों को पानी के लिए अधिक गहरी बोरिंग करनी पड़ती है। इससे सिंचाई लागत में भारी वृद्धि हुई है।

**PDS का विकेंद्रीकरण** : पिछले कुछ समय से केंद्र ने राज्य सरकारों को सस्ती दरों पर BPL परिवारों के लिए खाद्यान्न के स्थान पर वित्तीय सहायता दे रही है। यद्यपि इस समय उनकी अपनी ही आधारभूत कठिनाइयों के कारण बहुत से राज्य इस नीति को अपनाने के लिए आगे नहीं आए, यह भय है कि विकेंद्रीकृत प्रापण से कम प्रापण की संभावना बढ़ सकती है, यहां तक कि प्रापण बंद हो सकता है जो गरीब किसानों (जो आपात बिक्री करने के लिए विवश होते है) के हित के विरुद्ध हो सकता है। अभिजीत सेन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में केंद्र/FCI द्वारा खाद्यान्न के खुले प्रापण की विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य आधार प्रणाली जारी रखने की सिफारिश की। परंतु समिति ने किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत प्रतिबिंबित करने के लिए MSP के युक्तीकरण की वकालत की है।

**खाद्यान्नों का निर्यात** : उत्पादन में वृद्धि से भारत खाद्यान्नों का वास्तविक निर्यातक हो गया है। यह तब भी हो रहा है जब देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग भूखा रहता है। गेहूँ का निर्यात मूल्य रु. 4310 प्रति टन रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार विदेशी राष्ट्रों को अनाज (गेहूँ और चावल) BPL परिवारों को बेची गई कीमत पर बेच रहा है जो इसकी आर्थिक लागत के आधे से भी कम है। दूसरी ओर, सरकार इस दावे पर BPL परिवारों के लिए प्राचलन कीमत को कम करना अस्वीकार करती है कि इससे साहाय्य का भार आगे अधिक बढ़ेगा। परंतु दूसरी ओर, यह खाद्यान्न निर्यात को भारी साहाय्य देना जारी रख रही है। इस प्रकार भारतीय करदाताओं द्वारा भुगतान किये गये खाद्य साहाय्य का लाभ विदेशी उपभोक्ताओं और पशुचारा विनिर्माताओं द्वारा उपभोग किया जा रहा है। गरीब भारतीय परिवारों जिनके लिए यह अभिप्रेत है, के बदले ये साहाय्य पशुचारा विनिर्माताओं द्वारा (दक्षिण कोरिया, मलेशिया, बंग्लादेश, UAE, इंडोनेशिया, ओमान, इराक और फिलीपाइन्स जैसे देशों में) उपयोग किया जा रहा है।

**गरीबी पर PDS का प्रभाव** : PDS से गरीबों को आय अंतरण के आधार पर लाभ कम है क्योंकि गरीबी की बहुत बड़ी संख्या वाले राज्यों में PDS प्रभावी नहीं है। परिणामतः PDS के निष्पादन में व्यापारिक राज्यांतरिक अंतर और गरीबी

स्तरों में घटाव हुआ है। बहुत अध्ययनों ने प्रकट किया है कि बहुत गरीब परिवारों को राशन कार्ड से वंचित किया गया है, जबकि बहुत गैर-गरीब परिवार राशन कार्ड प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इस प्रकार टाईप ई और टाईप एफ त्रुटियों के उच्च स्तरों ने भारत में PDS की कार्यदक्षता को बाधित किया है। इन कारकों के कारण PDS पर साहाय्य अप्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। NSS उपभोग आंकड़े दिखाते हैं कि PDS ने गरीबों की खाद्य खरीदों का केवल लगभग 8 से 20 प्रतिशत दिया है, शेष खुला बाजार क्रय द्वारा खरीदा गया। इसलिए PDS में अत्यधिक सुधारों की आवश्यकता है। इन कमियों के बावजूद सुलक्षित तरीके से सस्ता PDS गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का सर्वोत्तम रूप हो सकता है।

## 19.7 भावी रणनीति

भारत ने साठवें दशक के मध्य से खाद्यान्न उत्पादन में बहुत प्रगति की है। इस समय भारत चावल, गेहूँ, फलों और सब्जियों आदि के उत्पादन में ऊँचे स्थान पर है। यद्यपि 1960 के दशक में प्राप्त प्रौद्योगिकीय विकास की प्रभावशीलता की अवधि अब समाप्त हो रही है। परंतु खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग भी सामान्य लोगों की आय में वृद्धि के कारण साथ-साथ बढ़ी। इसके अलावा, जैसाकि हमने ऊपर नोट किया, सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रवर्तन करने के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं जो हमारे घरेलू उत्पादन पर अधिक भार डाल सकते हैं और अन्य देशों से खाद्यान्न आयात करने के लिए हमें विवश कर सकते हैं। अतः इसके लिए समुचित रणनीतियाँ अपनाई जानी आवश्यक हैं।

**सुरक्षा नेट की स्थापना** : गरीब खाद्य स्फीति के प्रभाव का सामना करने के लिए साधनहीन होता है, इसलिए उसके कल्याण के लिए सुरक्षा नेट स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए PDS में सुधार करना और उसे आगे अधिक सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। PDS में लक्ष्यित त्रुटियां कम करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। गरीबों की क्रय शक्ति और उनका खाद्य ग्रहण सुधारने के लिए अधिक कार्यक्रम आरंभ किये जाने आवश्यक हैं। अल्पकालिक उपाय के रूप में, जिस सीमा तक आवश्यक है, आवश्यक वस्तुएं, जैसे दलहन, खाद्य तेल, चीनी, आदि PDS के आपूर्ति के लिए आयात होनी चाहिएं। परंतु दीर्घकालिक रणनीति घरेलू उत्पादन बढ़ाने और उपयुक्त उत्पादनकारी स्वरोज़गार कार्यों द्वारा आय अर्जित करने की स्थायी क्षमता और पूँजी निर्माण से परिसंपत्तियाँ बनाने के लिए ''काम के लिए खाद्यान्न'' जैसे कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए होने चाहिए।

**AAY का विस्तार** : अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार बढ़ी हुई हकदारियों के साथ अधिक गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए होना चाहिए। AAY स्कीम का प्रशासन बेहतर हो सकता है। इसकी हालत दोपहर के भोजन की भांति नहीं होनी चाहिए जो संभार तंत्र समस्याओं द्वारा बिगड़ गई है। इसके लिए अधिक साहाय्य की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए थोड़ा-सा भुगतान करना पड़ सकता है परंतु गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या को लाभ दे सकता है। यह अत्यधिक खाद्यान्न स्टॉक की समस्या का समाधान भी दे सकता है।

**दूसरी हरित क्रांति** : यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में अनाज की मांग 224-296 मिलियन टन के बीच हो सकती है। दूसरी ओर, घरेलू उत्पादन के अन्न की उपलब्धता का अनुमान 222 से 268 मिलियन टन के बीच लगाया गया है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, दूसरी हरित क्रांति प्राप्त करने की एकीकृत क्रियाविधि पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

**बोध प्रश्न 3**

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) PDS के चार उद्देश्य बताइए।

.....

.....

.....

.....

2) CIP सामान्यतया अपनी ''आर्थिक लागत'' की अपेक्षा कम क्यों है? दोनों के बीच अंतर क्या कहलाता है और 1992-2011 की अवधि में वृद्धि की क्या सीमा रही है?

.....

.....

.....

.....

3) तीन महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। उनमें से कौन ''कार्य के लिए खाद्यान्न'' का कार्यक्रम है?

.....

.....

.....

.....

4) NFSM का क्या लक्ष्य रहा है? उसकी प्राप्ति के लिए कौन विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

5) खाद्यान्नों की आपूर्ति न होने के मामलों की प्रतिपूर्ति के लिए NFS विधेयक क्या प्रस्ताव करता है?

.....

.....

.....

.....

6) खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति के प्रभाव के दो क्षेत्र क्या हैं जिन पर अभिजीत सेन समिति ने अपने प्रेक्षण किए हैं? खाद्यान्नों के विकेंद्रीकृत प्रापण की समस्या पर समिति की सिफारिश क्या थी?

.....

.....

.....

.....

7) राज्यांतरिक गरीबी में अंतर का क्या कारण है? PDS में क्या कमी है जिसका निवारण इस असमानता को प्रभावी ढंग से न्यूनतम करने के लिए आवश्यक है।

.....

.....

.....

.....

8) उन तीन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिनमें खाद्य सुरक्षा पर हमारी ''भावी रणनीति'' के रूप में संगठित कार्रवाई अपेक्षित है।

.....

.....

.....

.....

## 19.8 सारांश

स्वातंत्र्योत्तर अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार के बावजूद, भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में लगातार ह्रास हुआ है। जनसंख्या के कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिनमें PDS सबसे अधिक प्रचलित है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं में विशाल साहाय्य अंतर्निहित है परंतु उसके

अक्षम प्रचालन के कारण लक्ष्य समूहों को प्रत्याशित लाभ नहीं मिले हैं। खाद्यान्न का विशाल बफर स्टॉक बनाने की नीति, अपेक्षाकृत कम कीमत पर निर्यात को प्रोत्साहन, आदि अपने स्वरूप में प्रतिउत्पादनकारी है। भारत में सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा का प्रावधान निःसंदेह बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए दूसरी हरित क्रांति और PDS में सुधार आवश्यक है। विशेषकर, सरकार को PDS में लक्ष्यित त्रुटियां कम करने और गरीबों की क्रय शक्ति सुधारने के अन्य कार्यक्रम लागू करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

## 19.9 शब्दावली

**उपभोक्ता साहाय्य** : उपभोक्ता साहाय्य आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम कीमत के बीच अंतर है।

**आर्थिक लागत** : केंद्रीय सरकार द्वारा प्रापण, भंडारण, परिवहन और वितरण पर किया गया व्यय है।

**केंद्रीय निर्गम कीमत (CIP)** : वह कीमत जिसपर केंद्रीय सरकार उचित दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्न देती है।

**निर्गम कीमत** : वह कीमत जिस पर अंतिम उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती है।

**खाद्य सुरक्षा** : खाद्य साहाय्य उपभोक्ता साहाय्य का योग है और बफर स्टॉक का वहन व्यय है।

**न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** : वह कीमत जिस पर सरकार किसानों से कृषि उत्पाद खरीदती है। किसान इस कीमत पर सरकार को अपने उत्पाद बेच सकते हैं (यदि बाजार में अधिक कीमत पर बेचने में असमर्थ है)।

## 19.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Datt and Sundaram : Indian Economy, S.Chand Publisher, Delhi, 2011.

2) Krishnaji, Nand T.N.Krishan: Public Support for Food Security- The Public Distribution System in India, Sage Publicatons, New Delhi, 2000.

3) Radhakrishna R (and Others) : India's Public Distribution System – A National and International Perspective, World Bank Discussion Paper 380, 1997.

## 19.11 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) देखिए भाग 19.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 19.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 19.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए भाग 19.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 19.2.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 19.2.2 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 19.2.3 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 19.2.4 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 19.2.5 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 19.2.7 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 2**

1) देखिए भाग 19.3 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 19.3.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 19.3.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 19.3.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 19.3.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 19.3.2 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 19.3.3 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 19.4.3 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 3**

1) देखिए भाग 19.5 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 19.5.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 19.5.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 19.5.3 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 19.5.4 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए भाग 19.6 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए भाग 19.6 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए भाग 19.7 और उत्तर दीजिए।